"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 576] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–88/2014/18 (1).—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	4	मिनीमाता वार्ड
		5	गुरू घासीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	10	महाराणा प्रताप वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	7	शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	—	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	रविदास वार्ड
		11	महात्मा गांधी वार्ड
		14	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	15	स्वामी विवेकानंद वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
		12	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
		13	रानी दुर्गावती वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-88/2014/18 (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-88/2014/18 (1) दिनांक 07-11-14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-88/2014/18(1).— the list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Sahaspur-Lohara, Distt. Kabirdham is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	4	Minimata Ward
		5	Guru Ghasidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	10	Maharana Pratap Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Scheduled Tribes	7	Shahid Veer Narayan Singh Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	2	Ravidas Ward
		11	Mahatma Gandhi Ward
		14	Rani Laxmi Bai Ward
6.	Other Backward Class (Female)	15	Swami Vivekanand Ward
7.	Female	1	Pt. Shyama Prasad Mukherji Ward
		12	Subhash Chandra Bose Ward
		13	Rani Durgawati Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–88/2014/18 (2).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत पिपरिया, जिला– कबीरधाम के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	10	गुरू घासीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	9	मिनीमाता वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	–	निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	मां लक्ष्मी बाई वार्ड
		5	जगन्नाथ वार्ड
		11	सुगनचंद बैद वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	7	महात्मा गांधी वार्ड
7.	महिला वर्ग	8	राजीव गांधी वार्ड
		13	मां कर्मा वार्ड
		14	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-88/2014/18 (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-88/2014/18 (2) दिनांक 07-11-14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-88/2014/18(2).— the list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Pipariya, Distt. Kabirdham is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	10	Guru Ghasidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	9	Minimata Ward
3.	Scheduled Tribes	-	Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-88/2014/18(4).— the list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Pandatarai, Distt. Kabirdham is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	4	Maa Mahamaya Ward
		15	Sant Ravidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	14	Guru Ghasidas Ward
3.	Scheduled Tribes	-	Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	2	Mahadev Ward
		3	Maa Karma Ward
		8	Parashuram Ward
6.	Other Backward Class (Female)	12	Jama Masjid Ward
7.	Female	6	Ramjanki Ward
		10	Shakti Ward
		11	Mahatma Gandhi Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–88/2014/18 (5).—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–88/2014/18 (4).—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत पाण्डातराई, जिला– कबीरधाम के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	4	मां महामाया वार्ड
		15	संत रविदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	14	गुरू घासीदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	–	निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	महादेव वार्ड
		3	मां कर्मा वार्ड
		8	परशुराम वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	12	जामा मस्जिद वार्ड
7.	महिला वर्ग	6	रामजानकी वार्ड
		10	शक्ति वार्ड
		11	महात्मा गांधी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–88/2014/18 (4).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–88/2014/18 (4) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–88/2014/18 (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–88/2014/18 (3) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-88/2014/18(3).— the list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Bodla, Distt. Kabirdham is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	6	Sheetlamata Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	11	Minimata Ward
3.	Scheduled Tribes	10	Mahamaya Ward
		15	Budha Mahadev Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	12	Mahatma Gandhi Ward
5.	Other Backward Class	2	Rajiv Gandhi Ward
		8	Santoshi Mata Ward
		13	Guru Ghasidas Ward
6.	Other Backward Class (Female)	7	Durgamata Ward
7.	Female	1	Gouri Ward
		5	Yashwantraj Singh Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Other Backward Class	1	Maa Laxmi Bai Ward
		5	Jagnnath Ward
		11	Suganchand Baid Ward
6.	Other Backward Class (Female)	7	Mahatma Gandhi Ward
7.	Female	8	Rajiv Gandhi Ward
		13	Maa Karma Ward
		14	Pt. Dindayal Upadhyay Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–88/2014/18 (3).—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत बोड़ला, जिला-- कबीरधाम के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	6	शीतलामाता वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	11	मिनीमाता वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	10	महामाया वार्ड
		15	बुढ़ा महादेव वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	12	महात्मा गांधी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	राजीव गांधी वार्ड
		8	संतोषी माता वार्ड
		13	गुरू घासीदास वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	7	दुर्गामाता वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	गौरी वार्ड
		5	यशवंतराज सिंह वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश,
जितेन्द्र शुक्ला, [illegible]

आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत पण्डरिया, जिला– कबीरधाम के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	1	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
		2	गुरू घासीदास वार्ड
		5	मिनीमाता वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	8	महात्मा गांधी वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	9	इंदिरा गांधी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	4	महामाया वार्ड
		6	निखिल वार्ड
		12	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	7	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
7.	महिला वर्ग	3	बिनोवा भावे वार्ड
		13	जवाहर वार्ड
		15	शिवाजी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–88/2014/18 (5).—**भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–88/2014/18 (5) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-88/2014/18(5).— the list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Pandariya, Distt. Kabirdham is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	1	Dr. Ambedkar Ward
		2	Guru Ghasidas Ward
		5	Minimata Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	8	Mahatma Gandhi Ward
3.	Scheduled Tribes	9	Indira Gandhi Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	4	Mahamaya Ward
		6	Nikhil Ward
		12	Subhash Chandra Bose Ward
6.	Other Backward Class (Female)	7	Lal Bahadur Shastri Ward
7.	Female	3	Binova Bhave Ward
		13	Jawahar Ward
		15	Shivaji Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–88 / 2014 / 18(6) .— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का

आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका कवर्धा, जिला– कबीरधाम के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र. (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	17	मिनीमाता वार्ड
		18	गुरू घासीदास वार्ड
		27	विन्ध्यवासिनी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	4	संत रविदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	11	बुढ़ा महादेव वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	10	मठ वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	दीनदयाल नगर वार्ड
		6	महामाया वार्ड
		14	शक्ति वार्ड
		16	दन्तेश्वरी वार्ड
		20	राधाकृष्ण वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	25	ठाकुर देव वार्ड
		26	गुरू गोविन्द सिंह वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	रामनगर वार्ड
		13	महबूब शाह दातार वार्ड
		15	मारूती वार्ड
		22	महाराणा प्रताप वार्ड
		23	भगवान महावीर स्वामी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–88/2014/18 (6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–88/2014/18 (6) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-88/2014/18(6).— the list of the Reservation of Wards for Municipal Council Kawardha, Distt. Kabirdham is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	17	Minimata Ward
		18	Guru Ghasidas Ward
		27	Vindhyavasini Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	4	Sant Ravidas Ward
3.	Scheduled Tribes	11	Budha Mahadeo Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	10	Math Ward
5.	Other Backward Class	5	Deendayal Nagar Ward
		6	Mahamaya Ward
		14	Shakti Ward
		16	Danteshwari Ward
		20	Radhakrishna Ward
6.	Other Backward Class (Female)	25	Thakur Dev Ward
		26	Guru Govind Singh Ward
7.	Female	1	Ramnagar Ward
		13	Mahboob Shah Datar Ward
		15	Maruti Ward
		22	Maharana Pratap Ward
		23	Bhagwan Mahavir Swami Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.